

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- अनुग्रह अनुदान के मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग:- जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, सीतामढ़ी का पत्रांक-571 दि0-10.08.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक आपदा से मृत्यु की स्थिति में कतिपय वैसे मामले जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं है, वैसी स्थिति में मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान तभी देय होगा, जब जिला पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो ले कि मृत्यु प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक आपदाजनित कारण से हुई है। तदनुसार अनुमान्य अनुग्रह अनुदान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

~~अनुग्रह अनुदान~~


विश्वासभाजन

ह0/-

(अनिरुद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-.....3607...../आ0प्र0, पटना-15 दिनांक- 28/9/16

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव